निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 ज्येष्ठ 1946 (श0)

(सं0 पटना 537) पटना, शुक्रवार, 21 जून 2024

सं0 प्र0–01 / ल0ज0सं0 / स्था0(अराज0)–04 / 2024–2853

लघु जल संसाधन विभाग

संकल्प

20 जून 2024

विषयः–लघु जल संसाधन विभाग अन्तर्गत कार्यान्वित विभिन्न सिंचाई योजनाओं के समयबद्ध एवं सुचारू क्रियान्वयन हेतु बाह्य स्रोत से तकनीकी पर्यवेक्षक की सेवा प्राप्त किये जाने के संबंध में ।

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसकी अधिसंख्य जनसंख्या कृषि पर निर्भर है तथा कृषि के लिए सिंचाई एक मुख्य कारक है । राज्य सरकार द्वारा असिंचित क्षेत्रान्तर्गत बिहार राज्य के कृषकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लघु जल संसाधन विभाग द्वारा कई योजनाओं यथा– I.''हर खेत तक सिंचाई का पानी'' योजना, II. ''जल–जीवन–हरियाली'' अभियान, III. ''मुख्यमंत्री निजी नलकूप'' योजना एवं IV. ''राजकीय नलकूप'' योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

2. इस वर्ष भीषण गर्मी के कारण कृषि कार्य हेतु सिंचाई की अत्यधिक मांग को दृष्टिपथ में रखते हुए इस वित्तीय वर्ष में लगभग 3500 सतही योजनाओं को चिन्हित किया गया है । अन्य योजनाओं के साथ–साथ आगामी दो माह के अन्दर इन 3500 सतही योजनाओं का विस्तृत प्राक्कलन भी तैयार कराया जाना है ।

3. उक्त कार्य हेतु बड़ी संख्या में तकनीकी बल विशेष रूप से कनीय अभियंताओं की आवश्यकता है। जबकि विभाग अन्तर्गत कुल स्वीकृत बल 584 के विरूद्ध मात्र 39 नियमित कनीय अभियंता ही कार्यरत हैं।

4. यद्यपि कनीय अभियंताओं की रिक्ति के आलोक में अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को प्रेषित है परन्तु उक्त रिक्ति के विरूद्ध नियमित नियुक्ति में विलंब सम्भावित है । साथ ही विभाग द्वारा अन्य कार्य विभागों से भी कनीय अभियंताओं की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया परन्तु सभी विभागों द्वारा कनीय अभियंताओं की सेवा उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की गयी ।

5. ग्रामीण कार्य विभाग के संकल्प ज्ञापांक–BRRDA(HQ)MMGSY(NDB)-31/2021.1341 दिनांक–27.07.2023 द्वारा कुल 950 (नौ सौ पचास) तकनीकी पर्यवेक्षकों को अस्थायी रूप से रखे जाने का राज्य मंत्रिपरिषद् का निर्णय संसूचित है ।

6. उल्लेखनीय है कि राज्य मंत्रिपरिषद् के निर्णय के आलोक में हाल ही में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया का निष्पादन / एजेंसी चयन एवं एकरारनामा आदि किया गया है ।

7. वर्णित स्थिति में कार्यहित में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा चयनित अभिकरणों के माध्यम से ही लघु जल संसाधन विभाग हेतु तकनीकी पर्यवेक्षक की सेवा प्राप्त की जा सकेगी ।

8. संबंधित अभिकरणों को तकनीकी पर्यवेक्षक की सेवा हेतु ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा एकरारित दर पर ही भुगतान किया जायेगा ।

9. विभाग द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग के एकरारनामा के आधार पर ही संबंधित अभिकरणों को मानव बल उपलब्ध कराने हेतु कार्यादेश निर्गत किया जायेगा परन्तु वित्त विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक–3758 दिनांक–31.05.2017 के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा तकनीकी पर्यवेक्षकों हेतु एकरारित संख्या के 20 प्रतिशत अथवा उससे न्यून संख्या मे ही तकनीकी पर्यवेक्षक उपलब्ध कराये जाने का कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

10. उक्त मद में होने वाला अनुमानित वार्षिक आवर्ती व्यय (मानदेय/पारिश्रमिक, सेवा शुल्क एवं जी0एस0टी0 सहित) कुल रु0–7,19,68,200/–(सात करोड़ उन्नीस लाख अड़सठ हजार दो सौ रुपये) मात्र आकलित है। यह राशि विभिन्न कार्यालयों की स्थापना अन्तर्गत माँग संख्या–50, लघु जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष– 2702 लघु सिंचाई, उप शीर्ष– 02 भू–जल, लघु शीर्ष– 005 अन्वेषण, उप शीर्ष– 0001 सर्वेक्षण और जाँच, विषय शीर्ष/विस्तृत शीर्ष– 2802 संविदा सेवाएँ मद, विपत्र कोड–50–2702020050001 से भारित होगा ।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संतोष कुमार मल्ल,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 537-571+50-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in